

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (मुंगेर) 02-36/2022-.....(15)/रा०, पटना-15, दिनांक-.....

श्री विनोद कुमार गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-452/स्था०, दिनांक-06.05.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में बालू, ईट एवं ठेला गाड़ी से अवैध वसूली करने, बिना ओवर लोड वाहनों को ओवर लोड बताकर वाहन की जाँच के नाम से राशि वसूलने तथा बिना मोटी रकम लिये जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित किये गये। तदोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-666(15), दिनांक-07.06.2022 द्वारा श्री गुप्ता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय - प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर निर्धारित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-803(15), दिनांक-21.06.2022 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक-05.07.2022 अपूर्ण रहने के कारण विभागीय पत्रांक-1158(15), दिनांक-11.08.2022 द्वारा पूरक स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जो इनके द्वारा दिनांक-24.08.2022 को उपलब्ध कराया गया।

3. जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत विस्तृत जाँच किये जाने का निर्णय उपरान्त विभागीय पत्रांक-446(15) दिनांक-03.03.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए अपर समाहर्ता, मुंगेर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. श्री गुप्ता के दिनांक-30.04.2023 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प सं०-1054(15) दिनांक-25.03.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(B) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, मुंगेर के पत्रांक-689/रा० दिनांक-25.03.2024 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं०-01, 02 एवं 03 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-04 को अप्रमाणित अंकित किया गया।

6. आरोपी पदाधिकारी से प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1041(15) दिनांक-12.06.2024 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री गुप्ता द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग में समर्पित किया गया।

7. श्री गुप्ता को सेवानिवृत्ति के उपरान्त, सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक-30.04.2023) के प्रभाव से विभागीय संकल्प सं०-2353(15) दिनांक-28.11.2024 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

8. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोप के संदर्भ में श्री गुप्ता से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध "उपादान की राशि से 10 प्रतिशत की एक मुश्त कटौती" का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री विनोद कुमार गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त को "उपादान की राशि से 10 प्रतिशत की एक मुश्त कटौती" का दंड अधिरोपित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (मुंगेर) 02-36/2022- (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

ई-मेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्ता, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अंचल अधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर/श्री विनोद कुमार गुप्ता, तत्कालीन अंचल अधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता-पारा दुमका, नियर-डी0ई0ओ0 ऑफिस, झारखंड-814101) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (मुंगेर) 02-36/2022-1472 (15)/रा0, पटना-15, दिनांक-10/09/20

प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री गुप्ता के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा-15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

(Handwritten signature)

(गिरधारी लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।